

मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना/अ-2/1679/450

भोपाल, दिनांक 17/07/2023

-: आदेश :-

श्री मनोज मरकाम सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति छपारा जिला सिवनी वर्तमान में संयुक्त संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर में पदस्थ होकर लोकसेतक हैं। शिकायतकर्ता -श्री शिवम तारन पिता श्री शशिकांत तारन सिवनी द्वारा मंडी में गल्ले की खरीदी की जाती थी जिसका सालाना मंडी शुल्क जमा किये जाने के एवज में श्री मरकाम द्वारा राशि रूपये 13000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई।

पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय जबलपुर का पत्र क्रमांक/1921/पु.अ./विपुस्था/2023 दिनांक 05.07.2023 से प्राप्त सूचना अनुसार श्री मनोज मरकाम सहायक उपनिरीक्षक के विरुद्ध अपराध प्रकरण क्रमांक 59/2020, धारा -7, 13(1)बी 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधित 2018) के तहत घटित होना पाये जाने से अधिनियम की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक/स्था-2/1679/182 दिनांक 10-04-2023 से अभियोजन हेतु दी गई स्वीकृति के आधार पर लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा श्री मनोज मरकाम सहायक उपनिरीक्षक के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय सिवनी जिला सिवनी में दिनांक 23.06.2023 को चालान पेश किया गया है जिसका विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2023 है।

उपरोक्त के आधार पर श्री मनोज मरकाम सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति छपारा जिला सिवनी वर्तमान में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड जबलपुर को म0प्र0 राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री मनोज मरकाम सहायक उपनिरीक्षक का निलंबन अवधि में मुख्यालय म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर रहेगा। निलंबन अवधि में सेवा विनियम के विनियम 36 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। जिसका भुगतान म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर से देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

9.
(गौतम सिंह)


प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना-2/अ-2/3110/451

भोपाल, दिनांक 17/07/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सह-अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल
2. अवर सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर पत्र क्रमांक/AGR/18/0427/2021-Sec-2-14(AGR)(91930)/ 852 दि. 13.07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल की ओर पत्र क्रमांक/7115/अप.क्र. 59/2020/विपुस्था/21 दिनांक 16.12.21 के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर, संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक 1921 दिनांक 05-07-2023 के संबंध में सूचनार्थ।
6. अपर संचालक, (वि.जाँच) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल इन्हें निर्धारित समयावधि में आरोप पत्रादि जारी करें।
7. संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री मनोज मरकाम, निलंबित सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति छपारा, जिला-सिवनी के विरुद्ध 15 दिवस में आरोप पत्र इत्यादि तैयार करवाकर अपर संचालक (विभागीय जाँच) मुख्यालय भोपाल को समयावधि में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति छपारा, जिला-सिवनी।
9. श्री मनोज मरकाम, सहायक उपनिरीक्षक मंडी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय जबलपुर की ओर पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जाँच/गो.च./ विधी/कम्प्यूटर शाखा मंडी बोर्ड भोपाल।


प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल